महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थापना/परि./215/2014/49286-325 दिनांक 24.12.2014

परिपत्र

यह अनुभव किया गया है कि इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने वाले त्याग-पत्र/पेंशन/प्रोवीजनल पेंशन/सेवानिवृति/एसीपी के कई प्रकरणों में सम्बन्धित रिकॉर्ड के अभाव एवं अन्य कमियों के कारण पुनः दुरुस्ती हेतु लौटाये जाने पड़ते हैं। इस प्रकार प्रकरणों को भलीभांति जाँच कर नहीं भिजवाये जाने से इनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं संबंधित कार्मिकों को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में (1)त्याग-पत्र (2)प्रोवीजनल पेंशन (3)एसीपी एवं (4)स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रकरण भिजवाने से पूर्व संलग्न चैक लिस्ट अनुसार दस्तावेज/कार्यवाही बाबत् परीक्षण कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

संलग्नः-चैक लिस्ट

हo

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः-

1-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3-समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,केन्द्रीय/जिला/महिला बंदी सुधार गृह
4-प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
5-प्रभारी किशोर बंदी सुधार गृह, जैतारण(पाली)

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

1- राज्य सेवा से त्याग पत्र स्वीकृति के संबंध में

(अ) अभिलेख जो संलग्न किये जाने है

1	प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति की प्रतिलिपि।
2	नवीन पद पर नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि ।
3	पारिश्रमिक एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि जमा कराये जाने सबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
4	कार्मिक द्वारा कारागार विभाग में नियुक्ति पर उपस्थिति देते समय पूर्व प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन के बाबत् दी गई सूचना की प्रतिलिपि ।

(ब) पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाना है

1	कर्मचारी स्थायी है या अस्थाई या परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी ।
2	कर्मचारी कर्तव्य से अनुपस्थित है तो कब से एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई।
3	कार्मिक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सेवा से त्याग पत्र किस दिनांक से स्वीकृत किया जाना है।

2- प्रोविजनल पेंशन प्रकरणों के संबंध में

(अ) अभिलेख जो संलग्न किये जाने है

1	अधिक राशि भुगतान होने पर लौटाने बाबत् शपथ पत्र।
2	कार्मिक की पत्नी की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।
3	गत भुगतान प्रमाण पत्र।
4	कार्मिक सेवानिवृत आदेश की प्रतिलिपि

(ब) रिकार्ड में जिनका इन्द्राज किया जाना है

1	नियुक्ति तिथि से सेवानिवृति दिनांक तक सेवा सत्यापन व क्रमांक अंकन
2	मण्डल/जिले के लेखाकर्मी द्वारा वेतन निर्धारणों की जांच के उपरान्त सही पाये जाने का प्रमाण पत्र।

(स) पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाना है

1	प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति का कारण
2	सेवापुस्तिका में दोहरा सत्यापन नहीं है।
3	राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 86 अथवा 90 में से किस नियम के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत कराई जा रही है।

3- एसीपी प्रकरणों के संबंध में

(अ) अभिलेख जो संलग्न किये जाने है

1	एक या दो वर्ष की एसीआर न होने पर सेवाएं संतोषप्रद होने का प्रमाण पत्र जिसमें नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने एवं किसी प्रकार की विभागीय जांच एवं फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं होने बाबत् स्पष्ट अंकन।
2	संतान संबंधी घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित हो मय दिनांक।
3	गत चयनित वेतनमान/एसीपी के बाद दिये गये दण्डों का एवं प्रतिकूल एसीआर टिप्पणी का चार्ट।
4	गत 9 वर्षो में दिये गये दण्ड एवं प्रतिकूल एसीआर का प्रभाव डालते हुए एसीपी स्वीकृति के प्रस्ताव।

(ब) रिकार्ड में जिनका इन्द्राज किया जाना है

1	नियुक्ति तिथि से एसीपी स्वीकृति दिनांक तक सेवा सत्यापन।
2	कार्मिक को दिये गये दण्डों का इन्द्राज पूर्ण हो।

(स) पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाना है

1	एसीपी स्वीकृति दिनांक से गत सात वर्षो की एसीआर पूर्ण है अथवा नहीं
2	यदि एसीपी का प्रस्ताव बकाया होने की तारीख से 6 माह से अधिक की देरी से भिजवाया है तो देरी का स्पष्ट कारण।
3	पूर्व में स्वीकृत एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक एवं उसके आदेश क्रमांक व दिनांक।
4	कार्मिक को नियुक्ति तिथि से एसीपी स्वीकृति तिथि तक दी गई पदोन्नति का विवरण

4- **स्वैच्छिक सेवानिवृति के संबंध में**

(अ) अभिलेख जो संलग्न किये जाने है

1	कार्मिक का स्वैच्छिक सेवानिवृति का आवेदन पत्र जो कम से कम तीन माह पूर्व का हो ।
2	स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रपत्र जिसमें सेवापुस्तिका में नाम अंकित है वही नाम प्रपत्र में अंकित हो ।
3	यदि विशेष परिस्थितियों में, तीन माह पूर्व का नोटिस दिए बिना ही स्वैच्छिक सेवा निवृति हेतु आवेदन किया जावे तो निर्धारित तीन माह की अवधि बाबत शिथिलन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें तीन माह का नोटिस दिए बिना, किस कारण से स्वैच्छिक सेवा निवृति चाही जा रही का पूर्ण औचित्य स्पष्ट रुप से अंकित हो।

(ब) पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया जाना है

1	कर्मचारी की सेवापुस्तिका में जो नाम अंकित है, वही नाम पत्र एवं प्रपत्र में अंकित हो ।
2	कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रार्थना पत्र स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक से तीन माह पूर्व प्रस्तुत किया है अथवा नहीं ?
3	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह में प्रकरण तैयार कर महानिदेशालय कारागार जयपुर को आवश्यक रुप से कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।
4	प्रकरण मुख्यालय को भिजवाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित तो नहीं है तथा यदि है तो उसका स्पष्ट अंकन किया जावे।
5	संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली/बकाया बाबत् सूचना।
6	कार्मिक के विरूद्ध लम्बित विभागीय जांच एवं विचाराधीन फौजदारी प्रकरण की सूचना।